



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर डकैती के 02 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष का कारावास व ₹8000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत मु0अ0सं0-449/2011 धारा- 392,411 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.भोला राजपूत पुत्र रामश्री राजपूत 2.देशराज पुत्र रामप्रकाश राजपूत निवासी गणग्राम पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 07-07 वर्ष का कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी मणिकर्ण  
शुक्ला



विवेचक-  
एसओ संजय  
कुमार सिंह



पैरोकार- थाना मुस्करा  
का0 ज्ञानेन्द्र